रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 1974/माघ 5, 1895
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 1974/MAGHA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January 1974

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby appoints Dr. C. H. Hanumantha Rao as a director on the board of directors of the Food Corporation of India established under the said Act, in place of Shri S. Tilak and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965 namely:—

In the said notification, against item (11), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Dr. C. H. Hanumantha Rao, Professor, Institute of Economic Growth, University of Delhi, Delhi."

[No. F. 4-1/73-FC-I Section]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1974

सा० का० नि० 23 (अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डा० सी० एच० हनुमंत राव को श्री एम० तिलक के स्थान पर उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (II) के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डा० सी० एच० हनुमंत राव, प्रोफेसर,
आर्थिक विकास संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।"

[सं० फा० 4-1/73-एफ० सी०-1 अनुभाग]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974